न्यायालय जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

रेफरेंस प्रार्थना पत्र :– 3/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) फलौदी		1. आमना पत्नि रजाक 2. सलीम पुत्र रजाक 3. शेर मोहम्मद पुत्र रजाक(फौत) 4. मोहम्मददतयूब पुत्र रजाक 5. मोहम्मदयासन पुत्र रजाक (अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 नाबालिग वल्द रजाक) (खसरा सं. 561/760) 6. अब्दुलकरीम पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी (खसरा संख्या 561/785) (सभी अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस के वारिसान)

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 133 एवं 158 राजस्व ग्राम फलौदी

निर्णय दिनांकः– 27/1/2026

1. रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत की गई।

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि कस्बा फलौदी का खसरा संख्या 561 कुल क्षेत्रफल 1835.03 बीघा किस्म बी–4 भूमि कस्बा फलौदी की खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 अनुसार राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। कस्बा फलौदी की जमाबंदी चौसाला संवत 2021–24 के राजकीय भूमि के खाते में खसरा 561/7610 में बिना किसी गैरखातेदारी नामान्तरकरण के ही अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अवैध अंकन दर्ज होकर विशेष विवरण में खातेदार हुए का भी अंकन अवैध रूप से दर्ज पाया गया। कस्बा फलौदी के राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरकरण पंजिकाओं का अवलोकन करने पर यह पाया कि राजकीय भूमि के खाते में खसरा 561 में अब्दुल्गफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अंकन बिना किसी गैरखातेदारी

जिला कलक्टर
फलौदी

नामान्तरकरण के ही किया गया जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132 से 135 अनुसार अधिकार अभिलेख के इन्द्राजों में कोई भी परिवर्तन धारा 135 में वर्णित नामान्तरकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अंकन अधिकारी अभिलेख में बिना किसी गैरखातेदारी नामान्तरकरण के ही कर दिया गया जो कि अविधिक एवं निरस्त योग्य है। कस्बा फलौदी की जमाबंदी चौसाला संवत 2025–28 के खाता संख्या 18 खसरा संख्या 561/760 के राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 133 अब्दुल गफूर पुत्र नबीबगस कौम व्यापारी गैर खातेदार से खातेदार कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 133 का अवलोकन करने पर यह पाया कि उक्त नामान्तरकरण में पटवारी द्वारा दिनांक 10.07.67 को रिपोर्ट की गई कि "तहसीलदार आदेश संख्या 3254/14.12.62 के तीन साल के लिए एलॉट हुआ है, खातेदार फरमावे" इसी नामान्तरकरण पर तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के लगभग 05 माह बाद दिनांक 04.12.67 को यह टिप्पणी की गई कि अलॉटमेंट 03 का ही था बाद में यदि कब्जा रहा है तो अनाधिकृत कब्जे की रिपोर्ट की जावे। तहसीलदार की उक्त टिप्पणी के लगभग दो माह बाद दिनांक 21.08.68 को पटवारी द्वारा पुनः रिपोर्ट की गई कि "असल श्रीमान की सेवा में पेश कर निवेदन है कि नियमानुसार खातेदारी पाने का हकदार है, अतः पुनः विचार करावे" पटवारी द्वारा तहसीलदार के दिनांक 04.12.67 के निर्देशों के संबध में अनाधिकृत कब्जे की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। पटवारी की रिपोर्ट व तहसीलदार की टिप्पणी से यह तथ्य सुस्पष्ट होता है कि अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस कौम व्यापारी को खसरा संख्या 561/760 रकबा 15 बीघा की भूमि का केवल तीन वर्ष के लिए अस्थाई आवंटन ही किया था, जिसकी अवधि दिनांक 13.12.1965 को समाप्त हो चुकी थी। पटवार मंडल फलौदी की आदेश पुस्तक में अंकित आदेश अनुसार अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस को तीन वर्ष के किया गया अस्थाई आवंटन भी तहसीलदार फलौदी के आदेश एलअर 2197/21.06.68 के जरिए भी खारिज भी कर दिया गया लेकिन फिर भी उक्त नामान्तकरण संख्या 133 नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया गया, जो कि नियमानुसार एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अब्दुल गफूर पुत्र नबीबगस ने षडयन्त्र रचकर नैना पुत्र नबीबगस के छद्य नाम से भू आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से खसरा संख्या 561/785 में रकबा 15 बीघा भूमि भी स्वयं के नाम तीन वर्ष के लिए आवंटित करवा ली। फिर जरिए नमान्तरकरण संख्या 158 के खातेदारी भी प्राप्त कर ली। जबकि नैना पुत्र नबीबगस नाम का कोई व्यक्ति जीवित नही नहीं था। अब्दुल गफूर पुत्र नबीबगस एवं नैना पुत्र नबीबगस दो भिन्न–भिन्न व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति था। अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस ने अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस एवं नैना पुत्र नबीबगस दो भिन्न नामों से आवेदन कर राज्य सरकार के साथ में धोखधड़ी करते हुए खसरा संख्या 561 में 02 बार 15–15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। अब्दुल गफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस की मृत्यु होने पर उसके वारिसान द्वारा दिनांक 24.08.2016 को उप पंजीयक

जिला कलक्टर
फलौदी

फलौदी के समक्ष फलौदी के खसरा संख्या 561/760 की भूमि का एक हकतर्क दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस के सभी पुत्र–पुत्रियों ने उप पंजीयक फलौदी के समक्ष अपने पिता का नाम नैना उर्फ अब्दुल गफूर लिखित में जाहिर किया। उक्त हकतर्क दस्तावेज उप पंजीयक फलौदी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 227 पृष्ठ संख्या 102 क्रम संख्या 201603091102045 पर पंजीबद्व किया गया। कस्बा फलौदी के जमाबंदी चौसाला 2025–28 के रेकर्ड में अंकित खसरा सुंख्या 561/760 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटी अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस एवं खसरा संख्या 561/785 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटी नैना पुत्र नबीबगस दोनों एक ही व्यक्ति था। अप्रार्थी द्वारा दो भिन्न–भिन्न नामों से आवेदन कर राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए खसरा संख्या 561 में दो बार 15–15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। जो कि उक्त कृत्य राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) के अन्तर्गत कपट की श्रेणी में आता है। आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की शर्तो की उल्लंघन की श्रेणी में होने के कारण उक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त योग्य है। रेफरेन्स न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने पर अप्रार्थी अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस जाति व्यापारी निवासी फलौदी के पक्ष में किया गया अवैध भू–आवंटन निरस्त हेतु एवं अवैध रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 133 एवं 158 राजस्व ग्राम फलौदी में नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया जाने से निरस्त करने का विधिसम्मत आदेश पारित करने का आदेश प्रदान करावें।

3. तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा ने वकालातनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया गया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता को रेफरेन्स के साथ संलग्न दस्तावेज, आदेश पुस्तिका में LR आदेश सम्बन्धित नोट्स, दस्तावेजों की पठनीय प्रति अप्रार्थी अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई जावे। तदपश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रेफरेन्स में प्राथमिक आपत्तियां पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते जबाब/बहस में रखा गया। तहसीलदार फलौदी द्वारा उक्त प्राथमिक आपत्तियों पर जबाब ना देकर आपत्तियों एवं रेफरेन्स प्रार्थना पर बहस करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। तदपश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में बताया कि कस्बा फलौदी का खसरा संख्या 561 कुल क्षेत्रफल 1835.03 बीघा किस्म बी–4 भूमि कस्बा फलौदी की खतौनी बंदोबस्त

जिला कलक्टर
फलौदी

संवत 2012–2031 अनुसार राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। कस्बा फलौदी की जमाबंदी चौसाला संवत 2021–24 के राजकीय भूमि के खाते में खसरा 561/761 में बिना किसी गैरखातेदारी नामान्तरकरण के ही अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अवैध अंकन दर्ज होकर विशेष विवरण में खातेदार हुए का भी अंकन अवैध रूप से दर्ज पाया गया। कस्बा फलौदी के राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरकरण पंजिकाओं का अवलोकन करने पर यह पाया कि राजकीय भूमि के खाते में खसरा 561 में अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अंकन बिना किसी गैरखातेदारी नामान्तरकरण के ही किया गया जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132 से 135 अनुसार अधिकार अभिलेख के इन्द्राजों में कोई भी परिवर्तन धारा 135 में वर्णित नामान्तरकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस व्यापारी का अंकन अधिकारी अभिलेख में बिना किसी गैरखातेदारी नामान्तरकरण के ही कर दिया गया जो कि अविधिक एवं निरस्त योग्य है। पटवार मंडल फलौदी की आदेश पुस्तक में अंकित आदेश अनुसार अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस को तीन वर्ष के किया गया अस्थाई आवंटन भी तहसीलदार फलौदी के आदेश एलअर 2197/21.06.68 के जरिए भी खारिज भी कर दिया गया लेकिन फिर भी उक्त नामान्तकरण संख्या 133 नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया गया जो कि नियमानुसार एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अब्दुल गफूर पुत्र नबीबगस एवं नैना पुत्र नबीबगस दो भिन्न–भिन्न व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति था। अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस ने अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस एवं नैना पुत्र नबीबगस दो भिन्न नामों से आवेदन कर राज्य सरकार के साथ में धोखधड़ी करते हुए खसरा संख्या 561 में 02 बार 15–15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। अब्दुल गफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस की मृत्यु होने पर उसके वारिसान द्वारा दिनांक 24.08.2016 को उप पंजीयक फलौदी के समक्ष फलौदी के खसरा संख्या 561/760 की भूमि का एक हकतर्क दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस के सभी पुत्र–पुत्रियों ने उप पंजीयक फलौदी के समक्ष अपने पिता का नाम नैना उर्फ अब्दुल गफूर लिखित में जाहिर किया। उक्त हकतर्क दस्तावेज उप पंजीयक फलौदी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 227 पृष्ठ संख्या 102 क्रम संख्या 201603091102045 पर पंजीबद्व किया गया। कस्बा फलौदी के जमाबंदी चौसाला 2025–28 के रेकर्ड में अंकित खसरा सुंख्या 561/760 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटी अब्दुलगफूर पुत्र नबीबगस एवं खसरा संख्या 561/785 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटी नैना पुत्र नबीबगस दोनों एक ही व्यक्ति था। अप्रार्थी द्वारा दो भिन्न– भिन्न नामों से आवेदन कर राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए खसरा संख्या 561 में दो बार 15–15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। जो कि उक्त कृत्य राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) के अन्तर्गत कपट की श्रेणी में आता है। आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की शर्तो की उल्लंघन की श्रेणी में होने के कारण उक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त योग्य है।_निवेदन किया गया कि रेफरेन्स प्रार्थना

जिला कलक्टर
फलौदी

स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 154 व 318 राजस्व ग्राम फलौदी को नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया होने के कारण निरस्त करने का विधि सम्मत आदेश पारित किया जावें।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत रेफरेन्स विधिक प्रारूप में पेश नहीं होने से प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज योग्य है। खसरा संख्या 561/760 में से 15 बीघा भूमि अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल गफूर का नामान्तरकरण संख्या 133 के द्वारा भरा गया। उक्त नामान्तरकरण आवंटन आदेश के तहत भरा गया यह आवंटन आदेश से संबधित किसी तहत का आदेश या पत्रावली रेफरेन्स के साथ पेश नही की गई है। दिनांक 13.07.1965 को आवंटन होने के बाद उक्त प्रकरण में अप्रार्थी गैर खातेदार था, जिसे तहसीलदार फलौदी द्वारा खातेदार घोषित किया गया । तत्पश्चात उस वक्त भी तहसीलदार को आवंटित तथ्यों के बारे में जानकारी थी। लगभग 60 वर्ष की अत्यधिक देरी से तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स पेश किये जाने से रेफरेन्स सारहीन एवं खारिज योग्य है।

6. अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा दौराने बहस RRT 2003 (2) पेज 1249 स्टेट बनाम सेरआ, RRT 2003 (2) पेज 1253 नगरपालिका किशनगढ़ बनाम नारायण वगैरा, RRT 2011—12 (SUPP.) पेज 691 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कल्याण दत्त, RJT (civil) 2025 (1) पेज 77 सरोज बनाम इफको टोकियों जनरल इन्शोरेन्स कॉ., RRT 2005(2) PAGE 1183 Kali Charan vs Board of Revenue, RRT 2017(1) Page 73 State Of Rajasthan vs Gaura & oth. व अन्य न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्को पर मनन एवं अवलोकन किया गया। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बध में एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के सम्बध में रेकर्ड मांग कर जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि न्यायालय का यह मत हों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को परिवर्तित , निरस्त या उलटी जानी चाहिए तो न्यायालय रेफरेन्स में अपनी राय की अनुशषा के साथ बोर्ड को भिजवाया जाने का अधिकार प्रदान करता है। उभयपक्षकारान की बहस एवं दस्तावेजों के अवलोकन एवं मनन बाद यह पाया गया कि खातेदारी आवंटन नियम विरूद्व किया गया है। अतः तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं कि अप्रार्थी अब्दुलगफूर उर्फ नैना पुत्र नबीबगस जाति व्यापारी निवासी फलौदी के पक्ष में खसरा संख्या 561/760 रकबा 15 बीघा तथा खसरा संख्या

जिला कल...
फलौदी

561/785 रकबा 15 बीघा भूमि में किये गये अवैध भू आवंटन तथा आवंटन होने उपरान्त तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 133 एवं 158 नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किये जाने से खारिज किये करने की कार्यवाही किये जाने की राय के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाता है। पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/1/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, फलौदी
फलौदी